भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 721
दिनांक 25 जुलाई, 2023 के लिए प्रश्न

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

721. श्री अरुण साव:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री विजय बघेल:
श्री रणजित सिंह नाईक निंबालकर:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री मोहन मंडावी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;
(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर लातूर, सतारा और सोलापुर बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही जिलों सहित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में राज्य-वार और जिला-वार कितने किसानों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में कुल दुग्ध उत्पादन और कुल दूध प्रसंस्करण क्षमता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण डेयरी स्थापित करने का निर्णय लिया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और
(च) सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लाभ हेतु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग वर्षभर अन्य के साथ-साथ दूध बाजार पहुंच और लाभकारी मूल्य संबंधी सहायता के लिए डेयरी अवसरंचना के सृजन हेतु निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का सहायता (एसडीसीएफपीओ)
iv. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)
v. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित डेयरी विकास योजनाएं प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुखी योजनाएं नहीं हैं। इसलिए, लाभार्थी किसानों के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ये योजनाएं वर्ष भर अन्यों के साथ-साथ दुग्ध बाजार पहुंच तथा लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए डेयरी अवसंरचना के सृजन के अतिरिक्त इनपुट सेवाओं, नस्ल सुधार आदि के

संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराती हैं जिससे महाराष्ट और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित पूरे देश में किसानों की आय को बढाने में सहायता मिलती है।

(ग) वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था। डेयरी सहकारी समितियों की संयुक्त दूध प्रसंस्करण क्षमता 989.43 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) है (स्रोत: एनडीडीबी)।

(घ) और (ड़) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 15 फरवरी 2023 को प्रत्येक कवर न की गई पंचायत में व्यवहार्य पीएसीएस,प्रत्येक कवर न की गई पंचायत/गांव में व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों तथा प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ बड़े जल निकायों वाली पंचायत/गांव में व्यवहार्य मात्स्यिकी डेयरी सहकारी समितियॉ स्थापित करने और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने ता जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ाने को अनुमोदित किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रारंभिक लक्ष्य अगले पांच वर्षो में 2 लाख बहुउद्देशीय पीएसीएस/डेयरी मात्स्यिकी सहकारी समितियॉ स्थापित करने का है और इस संबंध में नाबार्ड, राष्ट्रीय विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के समन्वय से योजना तैयार की जा रही है।

(च) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

i. दूध और दूध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2021 से निर्यात प्रोत्साहन योजना "निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर माफी (आरओडीटीईपी)" प्रारंभ की है। इस योजना के तहत, डेयरी उत्पादों के पात्र निर्यातकों को एफओबी मूल्य के 0.5% की अधिसूचित दर पर छूट दी जाती है।

ii. भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के घटकों में से एक घटक ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में मोजरेला पनीर सहित सभी भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन संबंधी सहायता करना है।

iii. भारत सरकार गुणवत्तायुक्त वस्तुओं (डेयरी वस्तुओं सहित) के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुकर बनाने और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए "निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी)" नामक एक योजना जारी रखे हुए है। इस योजना का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क रियायतें प्रदान करके निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

iv. बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत, सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में एक नए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की गई है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों और बहु-राज्य सहकारी समितियों सहित प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। इस समिति के माध्यम से किसानों के उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाया जाएगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। इस समिति को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

****